आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर

श्री बी.एम.बियाणी, लेखा सदस्य तथा
श्री परेश म. जोशी, न्यायिक सदस्य के समक्ष

आ.अ.सं. 128/इंदौर/2024
निर्धारण वर्ष : 2017-18

सहायक आयकर आयुक्त 1(1), भोपाल	बनाम	श्री प्रदीप शर्मा प्रोप. प्रियदर्शिनी कंस्ट्रक्शन एस-4 श्री रमेश टॉवर, 2 री मंजिल 10 नं. मार्केट एरिया, अरेरा कॉलोनी, भोपाल
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.- एसीडब्ल्यूपीएस 6402 क्यू PAN- ACWPS6402Q		

प्रत्याक्षेप सं. 09 /इंदौर/2025
(आ.अ.सं. आ.अ.सं. 128/इंदौर/2024 से उद्भूत)
निर्धारण वर्ष : 2017-18

श्री प्रदीप शर्मा प्रोप. प्रियदर्शिनी कंस्ट्रक्शन एस-4 श्री रमेश टॉवर, 2 री मंजिल 10 नं. मार्केट एरिया, अरेरा कॉलोनी, भोपाल	बनाम	सहायक आयकर आयुक्त 1(1), भोपाल
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.- एसीडब्ल्यूपीएस 6402 क्यू PAN- ACWPS6402Q		

राजस्व की ओर से	श्री आशीष पोरवाल, वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि
निर्धारिती की ओर से	सुश्री पद्मावती स्वामी, सीए
सुनवाई तिथि	16.02.2026
उद्घोषणा तिथि	16.02.2026

आदेश

न्यायपीठ द्वारा

निर्धारण वर्ष 2017-18 से संबंधित राजस्व द्वारा दाखिल यह अपील तथा निर्धारिती द्वारा दाखिल प्रत्याक्षेप विद्वान आयकर आयुक्त (अपील), नेशनल फेसलेस अपील सेंटर (एनएफएसी), नई दिल्ली के आदेश दिनांक 18.12.2023 के विरुद्ध निदेशित हैं जो कि उप/सहायक आयकर आयुक्त 1(1), भोपाल द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 144 के अधीन पारित निर्धारण आदेश दिनांक 26.12.2019 से उद्भूत है ।

विभागीय अपील आ.अ.सं 128/इंदौर/2024

2. इस अपील की सुनवाई के दौरान निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने हमारा ध्यान केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जारी नवीनतम परिपत्र सं. 9/2024 दिनांक 17.09.2024 की ओर आकर्षित किया जिसमें विभाग द्वारा अधिकरण के समक्ष अपील दाखिल करने हेतु अंतर्ग्रस्त विनिहित कर सीमा को संशोधित कर 60 लाख किया गया है । साथ ही उपरोक्त परिपत्र के परिच्छेद सं. 4 के अनुसार आयकर अधिनियम की धारा 268 ए के अधीन दी गई शक्तियों के अनुपालन में अधिकरण के समक्ष विभाग द्वारा कोई अपील दाखिल नहीं की जानी चाहिए यदि कर प्रभाव रू. 60 लाख से अधिक नहीं है । इसके अतिरिक्त इस परिपत्र के परिच्छेद 5, जो निम्न रूप से उद्धृत है, में यह उल्लिखित है कि यह अनुदेश लंबित अपीलों पर भी लागू होगा-

> " *यह संशोधन इस परिपत्र के जारी होने की तारीख से लागू होगा । यह परिपत्र इसके आगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय / अधिकरण के समक्ष दाखिल एसएलपी/अपीलों पर लागू होगा ।* ***यह सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय / अधिकरण के समक्ष लंबित एसएलपी/अपीलों पर भी लागू होगा जिन्हें तद्नुसार वापिस लिया लिया जाए*** *।* "

3. हमने पाया कि वर्तमान अपील में कर प्रभाव विनिहित सीमा से कम है । अतः सी.बी.डी.टी द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 17.09.2024 की दृष्टि में विभाग द्वारा दाखिल यह अपील खारिज करने योग्य हैं ।

4. विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने आयकर अधिकारी (तकनीकी) के का पत्र दिनांक 29.12..2025 दाखिल करके यह तथ्य स्वीकार किया कि विचाराधीन प्रकरण में कर प्रभाव रू. 60 लाख से कम है और यह प्रकरण सीबीडीटी के परिपत्र सं. 5/2024 दिनांक 15.03.2024 में उल्लिखित अपवाद खंड (exception clause) के अधीन नहीं आता है ।

5. हमने विद्वान विभागीय प्रतिनिधि के निवेदनों पर विचार किया है तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन किया है । हमने पाया कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा परिपत्र सं. 9/2024 दिनांक 17.09.2024 के द्वारा अधिकरण के समक्ष अपील दाखिल करने हेतु अंतर्ग्रस्त विनिहित कर सीमा को संशोधित कर 60 लाख किया गया है । हमने पाया कि आक्षेपित प्रकरण में विवादाधीन मुद्दों में कर प्रभाव रु. 45,50,377/- है जो सीबीडीटी द्वारा अधिकरण के समक्ष अपील दाखिल करने हेतु विनिहित सीमा रु. 60 लाख से कम है तथा विभाग द्वारा स्वीकार किया गया है कि यह प्रकरण अपवाद खंड (exception clause) के अधीन नहीं आता है । अतः परिपत्र के अनुसार राजस्व को इस अपील पर दबाव डालना अपेक्षित नहीं है । तद्नुसार, विभाग द्वारा दाखिल वर्तमान अपील खारिज करने योग्य है । अतः, हम राजस्व द्वारा दाखिल अपील को प्रकरण के गुणागुण पर विचार किए बिना आरंभतः खारिज करते हैं ।

<u>निर्धारिती का प्रत्याक्षेप सं. 09/इंदौर8/2025</u>

6. इस प्रत्याक्षेप की सुनवाई के दौरान निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता निवेदन किया कि वह इस प्रत्याक्षेप पर दबाव नहीं डालना चाहती । अतः उन्होंने इस प्रत्याक्षेप को वापिस लेने की

अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया । विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने इस अनुरोध का विरोध नहीं किया है । अतः हम इस प्रत्याक्षेप को वापिस लिए जाने की अनुमति प्रदान करते है तथा इसे वापिस लिए जाने के कारण खारिज करते हैं ।

7. परिणामतः, राजस्व की अपील तथा निर्धारिती का प्रत्याक्षेप खारिज किए जाते है ।

यह आदेश 16.02.2026 को सुनवाई के पश्चात खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया तथा तत्पश्चात लिखित आदेश पारित किया गया ।

हस्ता/-	हस्ता/-
(परेश म. जोशी)	(बी.एम. बियाणी)
न्यायिक सदस्य	लेखा सदस्य

दिनांक : 16.02.2026

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फाईल